

मुन्तकिली प्रकरण सं० 40/2016 अनवानी सरवन पुत्र पेमाराम जाति नायक
निवासी बछरारा तहसील सूरतगढ़ 1-बजरंग पुत्र बालदास जाति स्वामी निवासी
बछरारा तहसील सूरतगढ़ 2-तहसीलदार सूरतगढ़ 3.उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

06.09.2016

प्रार्थी सरवन के अभिभाषक श्री बलराम स्वामी उपस्थित है। अप्रार्थी
बजरंग के अभिभाषक श्री राकेश कुमार उपस्थित है। पक्षकारान्तरके अभिभाषकगण
को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अप्रार्थी बजरंग के अभिभाषक का कथन है कि प्रार्थी द्वारा न्यायालय
उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ में लंबित वाद संख्या 106/2015 अनवानी सरवन
बनाम बजरंग में निष्पक्ष न्याय न मिलने की संभावना के कारण अन्यत्र सक्षम
न्यायालय में मुन्तकिल करवाने के लिए यह मुन्तकिली प्रा० पत्र अन्तर्गत धारा 235
राज० काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया है। चूंकि तत्कालीन उपखण्ड
अधिकारी, सूरतगढ़ का अन्यत्र स्थानान्तरण हो गया है। इसलिए यह मुन्तकिली
प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन हो गया है। अतः यह मुन्तकिली प्रा० पत्र
इसी आधार पर खारिज किया जावे।

प्रार्थी के अभिभाषक को भी उक्त आधार पर मुन्तकिली प्रार्थना पत्र
खारिज किये जाने पर कोई आपति नहीं है।

मैंने दोनो पक्षो की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन
किया तो पाया कि प्रार्थी द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ में लंबित
वाद संख्या 106/2015 अनवानी सरवन बनाम बजरंग में निष्पक्ष न्याय न मिलने
की संभावना के कारण अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल करवाने के लिए यह
मुन्तकिली प्रा० पत्र अन्तर्गत धारा 235 राज० काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश
किया है। चूंकि तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ़ को अन्यत्र स्थान पर
लगाया जा चुका है। इसलिए यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी अर्थात फलहीन
हो गया है। पक्षकारान्तरके अभिभाषकगण को भी उक्त आधार पर मुन्तकिली
प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने पर कोई आपति नहीं है। अतः मुन्तकिली प्रा० पत्र
निष्प्रभावी अर्थात फलहीन होने के कारण खारिज करने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र निष्प्रभावी
अर्थात फलहीन होने के कारण खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति उपखण्ड
अधिकारी, सूरतगढ़ को पालनार्थ भिजवाई जावे। यह पत्रावली बाद तरतीब
तकमील दाखिल दफतर हो।

आदेश आज दिनांक 06.09.2016 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले
न्यायालय में सुनाया गया।

(पी. सी. किशन)
जिला क्लैक्टर
श्रीगंगानगर

1577
9-9-16